राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

शुद्धि पत्र संख्या – 06/2020–21

क्रमांक : एफ.7(31) भर्ती/कृषि अधिकारी/EP-I/2017–18/125 **दिनांक : 14.10.2020**

आयोग के सं.वि.सं. 09/भर्ती/A.O.&A.R.O.-Ag. Chem./EP-I/2019–20 दिनांक 17.01.2020 की पद क्रम संख्या 01 पर कृषि अधिकारी के 63 पद विज्ञापित किये गये थे। विभाग द्वारा अब कुल पदों की संख्या 97 किये जाने के कारण उक्त पदों हेतु **पुनः ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किये जाते है** तथा इस संबंध में निम्नानुसार अधिसूचित किया जाता है :–

1. विभाग से प्राप्त कुल 97 पदों का नवीनतम वर्गवार वर्गीकरण निम्नानुसार है :–

Post S.No.	Name of Subject	No. of Post (s)	Gen.				S.C.				S.T.				O.B.C.				M.B.C.				E.W.S.			
			सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता	सामान्य	सामान्य महिला	विधवा	परित्यक्ता
1	कृषि अधिकारी	97	26	7	3	0	11	3	1	0	9	2	1	0	14	5	1	0	4	1	0	0	7	2	0	0
Horizontal Reservation :- B/LV-1,HI-1, LD/CP- 1, Ex-serviceman - 4																										

2. उक्त पदों हेतु अभ्यर्थी आयोग के ऑनलाईन पोर्टल https://rpsc.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध Apply Online link को Click कर अथवा एस.एस.ओ. पोर्टल https://sso.rajasthan.gov.in से Login कर Citizen Apps (G2C) में उपलब्ध Recruitment Portal का चयन कर **दिनांक 20.10.2020 से दिनांक 03.11.2020 को रात्रि 12.00 बजे तक ऑनलाईन आवेदन कर सकते** है। इसके पश्चात् लिंक निष्क्रिय हो जायेगा।

3. **ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन संबंधी सूचना :–** आवेदक को ऑनलाईन आवेदन Submit किये जाने के पश्चात् S.M.S. के जरिए सूचना भेजी जायेगी जिसमें किसी प्रकार की विसंगति होने पर अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन की अवधि के दौरान एवं आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक के पश्चात् 10 दिवस के भीतर त्रुटि संबंधी संशोधन कर सकता है। इसी तरह प्रथम चरण की परीक्षा समाप्त होने के पश्चात् आवेदक को ऑनलाईन आवेदन पत्र में संशोधन हेतु 10 दिन का एक अतिरिक्त अवसर दिया जायेगा जिसके अन्तर्गत विषय/पद, नाम, फोटोग्राफ, हस्ताक्षर, परीक्षा केन्द्र के अलावा अन्य संशोधन कर सकता है। इस संबंध में अभ्यर्थी आयोग की वेबसाईट https://rpsc.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध Instructions for Applicants का अवलोकन कर सकते हैं।

4. जिन अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में उक्त पदों हेतु आयोग द्वारा जारी विज्ञापन संख्या 09/2019–20 दिनांक 17.01.2020 के तहत् ऑनलाईन आवेदन किया जा चुका है, उन्हें पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है तथा उन्हें पूर्व आवेदन के समय विज्ञापन में उल्लेखित शर्तों की पालना पूरी करने के आधार पर पात्र माना जायेगा। पूर्व में आवेदित अभ्यर्थी अपने आवेदन में ऑनलाईन संशोधन कर सकते है।

5. ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने पूर्व में उक्त पदों हेतु आयोग द्वारा जारी विज्ञापन संख्या 09/2019–20 दिनांक 17.01.2020 के तहत् ऑनलाईन आवेदन किया था परन्तु वांछित शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा इत्यादि के आधार पर अपात्र थे, उन्हें "Editing as per corrigendum point No. 5" Option में Yes विकल्प का चयन कर ऑनलाईन आवेदन में संशोधन करना आवश्यक है। यदि ऐसे अभ्यर्थी उक्त बिन्दु अनुसार ऑनलाईन आवेदन में संशोधन नहीं करते हैं तो उन्हें अपात्र माना जायेगा।

6. बारां जिले की समस्त तहसीलों के सहरिया आदिम जाति हेतु परीक्षा शुल्क रूपये 150/– होगा। शेष वर्गों हेतु परीक्षा शुल्क पूर्व में जारी विज्ञापन अनुसार यथावत् रहेगा। कार्मिक (क–2) विभाग के परिपत्र दिनांक 02.05.2018 के अनुसार राजस्थान राज्य के जिन अभ्यर्थियों ने ऑनलाईन आवेदन के समय परिवार की वार्षिक आय 2.50 लाख रूपये से कम होने का विकल्प चुना है, उन अभ्यर्थियों को पात्रता जांच/साक्षात्कार के समय सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

7. उक्त पदों की शैक्षणिक योग्यता व शेष अन्य शर्तें पूर्व में जारी विज्ञापन के अनुसार यथावत् रहेगी।

(शुभम् चौधरी)
सचिव